संख्या - 62/ 413/84-2-2013-सीपी 16/2003

प्रेषक,

मुरलीधर दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2013

विषय उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए बी0एस0एन0एल0 के टोलफ्री नम्बर 18001805512 पर आने वाले व्यय हेतु विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0 को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-364/निविमावि-आठ(सा0) नजारत/09, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 एवं पत्र संख्या-370/निविमावि-आठ(सा0) नजारत/09, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त टोलफ्री नम्बर के बिलों का भुगतान न होने की स्थिति में काटने की सूचना देने के साथ-साथ राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष समिति की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 में लिये गये निर्णयोपरान्त निर्गत शासनादेश संख्या-सीपी 01/84-2-2013-सीपी 16/2003, दिनांक 03 जनवरी, 2013 द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए रेडियो एवं टी0वी0 पर उपभोक्ता जागरूकता हेतु पूर्व में तैयार किये गये आडियो/वीडियो स्पाट्स के माध्यम से विज्ञापन के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वीकृत धनराशि रू0 2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) में से रूपये 1,65,843/- (एक लाख पैंसठ हजार आठ सौ तैतालीस मात्र) के भुगतान के पश्चात अवशेष धनराशि रू0 34,157/- (चौंतीस हजार एक सौ सत्तावन रूपये मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत टोल फ्री नम्बर के बिलों के भुगतान हेतु आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आडियो/वीडियो स्पाट्स द्वारा विज्ञापन का प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2013 आवंटित धनराशि रू0 2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) में से अवशेष धनराशि रू0 34,157/- (चौंतीस हजार एक सौ सत्तावन रूपये मात्र) को उक्त टोल फ्री

....2/.....

दूरभाष संख्या-18001805512 के बिलों के भुगतान हेतु व्यावर्तित (डायवर्ट) करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया उक्त धनराशि के आहरण/व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुरलीधर दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या - 62/ 413(1)/84-2-2013-सीपी 16/2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) -प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in